

भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक
द्वारा सोमवार, 24 मार्च 2014 को मुंबई में पत्रकार परिषद में प्रसारित किया वक्तव्य

**चुनाव अधिकारी ने झूठी शिकायत करने पर
श्री. संजय निरुपम को फटकारा - राम नाईक**

मुंबई, सोमवार: “भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आचार संहिता भंग की झूठी शिकायत दर्ज करनेवाले कांग्रेसी सांसद श्री.संजय निरुपम का व्यवहार हार स्वीकार न करनेवाले बच्चों जैसा है. मेरे विरोध में झूठी शिकायत दर्ज कर उसका अखबारी सूखियों से डिंग पिटनेवाले श्री.निरुपम अब वह शिकायत चुनाव अधिकारी ने खारीज करने के बाद क्या मेरी माफी माँगेगे ?”, ऐसा सवाल भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री.राम नाईक ने आज मुंबई में पत्रकार परिषद के माध्यम से किया. आचार संहिता भंग की झूठी शिकायत दर्ज कर श्री.निरुपम ने जो बदनामी की उसका भी श्री.नाईक ने हिसाब माँगा है.

श्री.नाईक सांसद कोष के जनक माने जाते है. 7 मार्च को एक पत्रकार परिषद में श्री.नाईक ने मुंबई के कांग्रेस - राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसदों ने स्थानिक विकास कार्य के लिए उपलब्ध सांसद कोष का पुरा उपयोग नहीं किया है, यह जानकारी दे कर सबकी पोल खोल दी. विद्यमान छे सांसदों में से हर एक को रु.19 करोड का सांसद कोष उपलब्ध था, किंतु सभी ने उसमें से सिर्फ रु.11.85 करोड का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्रों को रु.7.15 करोड के विकास कार्यों से वंचित किया, ऐसा आरोप श्री.नाईक ने पत्रकार परिषद में किया था. इस पोलखोल से खफा श्री.निरुपम ने ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ जैसा व्यवहार शुरू किया. उन्होंने श्री.नाईक पर ही उलटा इल्जाम लगाया कि उन्होंने पुरा निधी इस्तेमाल करने के बावजूद झूठी जानकारी देकर श्री.राम नाईक ने चुनाव आचार संहिता का भंग किया है. यह शिकायत 10 मार्च को चुनाव निर्णय अधिकारी के पास देकर उन्होंने श्री.राम नाईक से माफी की माँग भी की थी.

पत्रकार रहे श्री.निरुपम ने असल में शब्दों की खिलवाड की. चूँकी उन्होंने रु. 20.78 करोड के कार्यों का ‘प्रस्ताव’ दिया है याने निधी का ‘पुरा इस्तेमाल’ हुआ है ऐसा उनका कहना था. श्री.नाईक पर मतदाताओं को गूमराह करने का इल्जाम भी उन्होंने लगाया. इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्री.नाईक ने कहा, “मेरे दीर्घ राजनीतिक जीवन में कभी भी, जब मैं स्वयं चुनाव लडता था तब भी, मैंने कभी भी किसी पर भी बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगाए है. अगर कोई व्यक्ति सांसद कोष की कार्यपध्दति से मैं वाकीफ नहीं हूँ ऐसा

समझे तो इसकी केवल दया की जा सकती है. सांसद कोष का 'इस्तेमाल' करने में और उसके लिए 'प्रस्ताव' भेजने में जमीन - आसमान का अंतर है. कोई सांसद, वह भी सरकार पक्ष का अपने प्रस्तावों पर समय पर अंमल नहीं करवा सकता यह बात मानना कठिन है. श्री.निरुपम की शिकायत की खबरे पढते मैंने स्वयं चुनाव निर्णय अधिकारी को मेरी प्रेस विज्ञप्ति जाँच के लिए भेजी. श्री.निरुपम को भी पत्र लिख कर साफ कह दिया कि चूँकि मेरी बात सही है माफी माँगने का सवाल ही नहीं उठता.

चुनाव निर्णय अधिकारी ने श्री.निरुपम की शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करने के लिए श्री.नाईक ने उन्हें धन्यवाद दिया. चुनाव अधिकारी ने पत्र लिखकर श्री.निरुपम को साफ शब्दों में कह दिया कि श्री.नाईक द्वारा आचार संहिता भंग नहीं हुई है इसलिए उन पर कारवाई का प्रश्न ही नहीं उठता. "क्या अब गलत शिकायत के लिए श्री.निरुपम मुझ से प्रामाणिकता से माफी माँगेगे ?" ऐसा सवाल भी श्री.नाईक ने किया.

श्री.नाईक ने कहा कि उनकी उस पत्रकार परिषद के पहले श्री.निरुपम ने मुंबई महापालिकाद्वारा किए जानेवाले कामों का श्रेय हडपने की कोशिश की थी. आचार संहिता जारी होने के पश्चात जिन कामों का पहले ही भूमिपूजन हुआ था, उनका फिर से भूमिपूजन करने सांसद महोदय चल पडे थे. इसकी तस्वीरे खींच रहे भाजपा नगरसेवक श्री.विनोद शेलार का मोबाईल गुस्से से खींच कर श्री.निरुपम ने तोड़ - फोड़ दिया था. स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की शिकायत की, जिससे खफा श्री.निरुपम ने मुझ पर झूठी शिकायत करा के मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश की.

"पिछले चुनाव में तो मतदाता श्री.निरुपम के झूठे वादों के चक्कर में आ गये, मगर अब की बार ऐसा नहीं होगा. मतदाता भाजपा - शिवसेना - आरपीआय महायुति के उम्मीदवार श्री. गोपाल शेटी को ही विजयश्री दिलाएंगे," ऐसा विश्वास श्री.राम नाईक ने अंत में व्यक्त किया.

(कार्यालय मंत्री)

①

निवडणूक निर्णय अधिकारी, २६ मुंबई उत्तर लोकसभा संघ यांचे कार्यालय

प्रशासकीय इमारत, ७वा मजला, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१.

दूरध्वनी क्रमांक २६४३५४५७, २६४३९९३४, २६४३५४८० (फॅक्स)

EMAIL ID-controllergreatermumbai@gmail.com

क्रमांक निनिअ/-२६ मुं.उ.लो.म.सं./आचार संहिता/कावि- ३३ /२०१४
दिनांक:- १६.३.२०१४


प्रति,
मा.श्री. राम नाईक
माजी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री,
९,शिवस्मृती, ५१ जयप्रकाश नगर,
गोरेगाव (पुर्व) मुंबई-४०० ०६३

विषय - खासदार श्री. संजय निरुपम यांनी आचार संहिता भंगाच्या केलेल्या
दि.१०.३.२०१४ रोजीच्या तक्रारी बाबत.

संदर्भ - आपले दि.१८.३.२०१४ चे पत्र.

आपले उपरोक्त संदर्भाधीन अर्जान्वये खासदार श्री. संजय निरुपम यांनी या कार्यालयात दि. १०.३.२०१४ रोजीचे अर्जानुसार आपले विरुद्ध आचार संहिता भंगाची तक्रार सादर केली असून , सादर केलेल्या तक्रारीची प्रत आपणास पाठवून दिलगिरी व्यक्त करण्याबाबत कळविले असल्याचे नमूद केले आहे. सदर तक्रारीबाबत आपण श्री. संजय निरुपम यांना दिलेल्या उत्तराची प्रत पाठविली आहे, व सदर प्रकरणी आपण योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत विनंती केली आहे.

खासदार श्री. संजय निरुपम यांनी केलेल्या तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली असून या कार्यालयात दि.१३.३.२०१४ रोजी खासदार श्री. संजय निरुपम यांना कळविले आहे, सदर पत्राची प्रत आपले माहिती करीता सोबत पाठविण्यात येत आहे.


निवडणूक निर्णय अधिकारी
२६-उत्तर मुंबई लोकसभा मतदार संघ

श्री. राम नाईक
का जनसंपर्क कार्यालय-मुंबई

22 MAR 2014

Office of
Shri Ram Naik-Mumbai

2

**OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, 26 MUMBAI NORTH
PARLIAMENTARY CONSTITUENCY.**

Administrative Bldg., 7th Floor, Bandra (East), Mumbai 400 051

Tel. No. 26435457, 26439934, 26435480(Fax)

EMAIL ID- controllergreatermumbai@gmail.com

No. RO/26MNPC/ELN/CODE-COND/WS-24/2014

Date: 13.03.2014

To,

Shri Sanjay Nirupam,
Member of Parliament, Lok Sabha,
A/2, Parag Building, Reserve CHS Ltd.,
Chandavarkar Road, Borivali (West),
Mumbai 400092.

Sub: Violation of Election Code of Conduct by Bhartiya Janata Party.

Ref: Your letter dated 10.3.2014

I have received your letter on the above mentioned subject on 12.3.2014. On perusal of the contents of the letter it is seen that the press release by Office Secretary of Bhartiya Janata Party dated 7.3.2014 is about use of MPLAD funds. I have gone through your letter, exhibits with your letter and the guide lines issued by Election Commission of India regarding Model Code of Conduct. The accusation made in the said press release does not amount to breach of Model Code of Conduct. Hence the question of taking action for violation of Model Code of Conduct does not arise.

This is for your information.

Amr
(Dr. Avinash Bhakne)
Returning Officer,
Tolc 26 Mumbai North Parliamentary Constituency.

Copy submitted to the Collector & District Election Officer, Mumbai Suburban District for favor of information.

Amr
Returning Officer,
Tolc 26 Mumbai North Parliamentary Constituency.

मिनिस्टर ऑफ
13/3/14